REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्1 सं. इी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220750 CG-DL-E-30072020-220750

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2192] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/आवण 7, 1942 No. 2192] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2482(अ). —यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2365(अ), तारीख 12 जुलाई, 2016 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -334 बी के 52.860 कि.मी. से 132.850 कि.मी. (उ.प्र./हरियाणा सीमा -सोनीपत –झज्जर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 बी के डिजाइन 44.800 कि.मी. से 80.250 कि.मी. (विद्यमान 97.400 कि.मी से 132.850 कि.मी.) के रोहना/हसनगढ –झज्जर सेक्शन के चार लेन के उपयोग हेतु सडक खंड की निवल लंबाई 14.250 कि.मी. और 2.420 किमी (जिनकी लबाई 0.242 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100 % की दर से तथा बाईपास जिनकी निवल लंबाई 20.958 कि.मी और लागत 10 करोड रू. या अधिक है, के उपयोग हेतु आधार दर के 150% की दर से सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:

सारणी 1					
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क वी आधार दर (रुपए में)				
(1)	(2)				
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65				
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05				
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20				
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40				
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45				
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाल)	4.20				

1.नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सडक की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी -2							
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है					
झज्जर जिले में छारा गांव के निकट रारा-334बी के डिजाइन चैनेज 67.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 120.500 कि.मी.) पर	14.250 (60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचना तथा 10 करोड रू से अधिक लागत के बाइपास को छोडकर)	चार और अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%					

2 उपरोक्त के अलावा 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाईपास के उपयोग के लिए निर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (ओं) पर निम्नलिखित शुल्क देय होगा तथा उसका भुगतान करना होगा।

			सारणी -3		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए	शुल्क प्लाजा की लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई लागत (कि.मी.में) (करोड में	

झज्जर जिले में छारा गांव के निकट रारा- 334बी के डिजाइन चैनेज 67.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज	हसनगढ बाईपास	डिजाइन कि.मी. 45.280 (विद्यमान कि.मी. 97.880)	डिजाइन कि.मी. 49.400 (विद्यमान कि.मी. 102.000)	4.120	50.89	चार और अधिक लेन हेतु, ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
120.500 कि.मी.) पर	सांपला बाईपास	डिजाइन कि.मी. 53.820 (विद्यमान कि.मी. 106.420)	डिजाइन कि.मी. 62.900 (विद्यमान कि.मी. 115.500)	. 3	13 .75	चार और अधिक लेन हेतु, ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	भापरोदा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 63.300 (विद्यमान कि.मी. 115.900)	डिजाइन कि.मी. 66.900 (विद्यमान कि.मी. 119.500)	3.600	44.72	चार और अधिक लेन हेतु, ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	छारा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 68.200 (विद्यमान कि.मी. 120.800)	डिजाइन कि.मी. 72.600 (विद्यमान कि.मी. 125.200)	4.400	55.21	चार और अधिक लेन हेतु, ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	कुल	1	L	20.958		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी -4		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सडक की लम्बाई के समान परिवतर्तित संरचना की लम्बाई (किमी में)	समकक्ष सडक लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क संदेय है

3

झज्जर जिले में छारा गांव के निकट रारा-334वी के डिजाइन चैनेज 67.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 120.500 कि.मी.) पर	0.242	2.42	चार और अधिक लेन हेतु, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या ।	(चैनेज)	~	संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
1	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	57.809	57.951	आरओबी	0.142
2	58.570	58.670	फ़्लाइओवर	0.100
		कुल		0.242

 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020 21 के लिए मासिक पास की दर 2 5.00 रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 200 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

	सारणी -5	
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को रारा शुल्क नियम 2008 के नियम 10 के उप नियम (1ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 200 0 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11.! इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1101.54 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/11012 भारा 334 बी/यूपीएचबीएसजे पैकेज 2 201 हर]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

S.O. 2482(E).--- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2365(E) dated 12th July,2016 issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 52.860 to kilometer 132.850 (UP/Haryana Border-Sonipat- Jhajjar section) of National Highway No. 334 B in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 100 % of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 14.250 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.420 km (having length of 0.242 km) and at 150% of base Rates for bypasses having length of 20.958 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Rohna/Hassangarh- Jhajjar section from design kilometer 44.800 to kilometer 80.250 (existing km 97.400 to km 132.850) of National Highway 334 B in the state of Haryana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1					
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)				
(1)	(2)				
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65				
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05				
Bus or Truck (Two Axles)	2.20				
Three-axle commercial vehicles	2.40				
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45				
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20				

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plazas for net road length specified for such Fee Plazas, namely: -

Table-2							
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is	Rate at which fee is payable					
	payable						
At km 67.900 design	14.250	100% for four and more lane, of the					
chainage(existing chainage at km 120.500) near village Chhara of NH- 334B in Jhajjar district.	(excluding length of structure > 60 m and Bypass costing more than 10 Cr)	base rates mentioned in Table-1 above					

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

			Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and bypass fo additional fee Length (in Km.)	r which	Rate at which fee is payable
At km 67.900 design chainage(existing chainage at km 120.500) near	Hasangarh Bypass	Design km 45.280 (existing km 97.880)	Design km 49.400 (existing km 102.000)	4.120	50.89	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
village Chhara of NH-334B in Jhajjar district.	Sampla Bypass	Design km 53.820 (existing km 106.420)	Design km 62.900(existin g km 115.500)	8.838	137.75	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bhaproda Bypass	Design km 63.300(existin g km 115.900)	Design km 66.900(existin g km 119.500)	3.600	44.72	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Chhara Bypass	Design km 68.200(existin g km 120.800)	Design km 72.600(existin g km 125.200)	4.400 20.958	55.21	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total					

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4							
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable				
At km 67.900 design chainage(existing chainage at km 120.500) near village Chhara of NH-334B in Jhajjar district.	0.242*	2.42	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above				

*The details are as under:

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km)
	From Km	To Km		
1.	57.809	57.951	ROB	0.142
2.	58.570	58.670	Flyover	0.100
		Total		0.242

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules. 5.

For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5					
Amount Payable	Maximum number of	Period of validity			
	one way journeys				
	allowed				
One and one-half times of the fee for one	Two	Twenty four hours from the time of payment			
way journey					
Two-third of amount of the fee payable	Fifty	One month from date of payment			
for fifty single journeys					

Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where 6. the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1101.54 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules

[F. NO. NHAI/11012/NH-334-B/UPHBSJ/PKG-2/2017/HR]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.